संख्या– 346 / XXXIX/2024 -03(सा0) / 2018(E-53955)

प्रेषक,

विनोद प्रसाद रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान,
देहरादून।

भाषा विभाग **दिनांक 25 नवंबर, 2024**

विषय–उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के विभागीय ढांचे के पुनर्गठन किये जाने विषयक।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्रांक–231 / 69–नियुक्ति / उ.भा.सं. / 2022–23, दिनांक 14.07.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–03/XXXIX-119/2008, दिनांक 19.02.2010, कार्यालय ज्ञाप संख्या–233/XXXIX-21(सा0)/2009, दिनांक 31.05.2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–578/XXXIX-2015-07(सा0)/2014, दिनांक 08.06.2015 द्वारा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून एवं उसके अधीन कार्यरत् अकादमियों (यथा उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी / उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी / उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी) हेतु पूर्व में सृजित पदों को समाप्त करते हुए निम्न वर्णित तालिकानुसार पुनर्गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	निदेशक	131100–216600 (लेवल–13A)	01
2.	उप निदेशक	67700–208700 (लेवल–11)	02
3.	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	67700–208700 (लेवल–11)	01
4.	सहायक निदेशक	56100–177500 (लेवल–10)	04
5.	शोध अधिकारी	56100–177500 (लेवल–10)	01
6.	प्रकाशन अधिकारी	47600–151100 (लेवल–8)	01
7.	सहायक शोध अधिकारी	44900–142400 (लेवल–7)	04
8.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	44900–142400 (लेवल–7)	01
9.	अनुवादक	35400–112400 (लेवल–6)	05
10.	लेखाकार	35400–112400 (लेवल–6)	01
11.	सहायक लेखाकार	29200–92300 (लेवल–5)	01

12.	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 (लेवल–5)	02
13.	वैयक्तिक सहायक	29200–92300 (लेवल–5)	01
14.	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)	06
15.	वाहन चालक	आउटसोर्स नियत मानदेय प्रतिमाह रू0 18000/–(सर्विस चार्ज + जी0एस0 टी0 अतिरिक्त)	01
16.	बहुद्देशीय कार्मिक	आउटसोर्स उपनल/पी0आर0डी0 से नियोजित कार्मिकों को उपनल/पी0आर0डी0 की दरों पर मानदेय देय होगा।	10 06 उपनल 02 पी0आर0डी0 02 आउटसोर्स
	योग–		42

2 . उपरोक्त वर्णित उल्लिखित तालिका के क्रमांक 15–16 पर पूर्व से उपनल/पी0आर0डी0 से आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कार्मिकों को उपनल/पी0आर0डी0 की दरों पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा। सम्बन्धित कार्मिकों के सेवा छोड़ने की स्थित या अन्य किसी कारण से उन्हें हटाए जाने पर उक्त पदों पर नवीन तैनाती कौशल विकास विभाग के शासनादेश संख्या–922/XLI-B-1/2023/06-/सामान्य/2020/E-27797, दिनांक 11.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियत मानदेय पर की जायेगी।

3. प्र0वि0 द्वारा आउटसोर्स से सृजित पदों के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–111/XXX(2)/2018-30(12)2018, दिनांक 27.04.2018, शासनादेश संख्या–379/XXX (2)/2018/30(12)2018, दिनांक 29.10.2021 एवं कौशल विकास विभाग के शासनादेश संख्या–922/XLI-B-1/2023/06-/सामान्य/2020/E-27797, दिनांक 11.08. 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समस्त पदों पर भर्ती से पूर्व साधारण सभा एवं शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4. उपरोक्त वर्णित तालिका में उल्लिखित नियमित पदों पर भर्ती पदधारकों को वेतन के आतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

5. उक्त पर होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष के सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–I/249101/2024/XXVII(7)/2024, दिनांक 22 अक्तूबर, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Vinod Prasad Raturi
Date: 22-11-2024 12:40:04
(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
सचिव।

संख्या– 346/ XXXIX/2024 -03(सा0) / 2018(E-53955) : तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
4. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–3 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
6. एन0आई0सी0।
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

Signed by
Shri Nandan Singh Bisht
Date: 25-11-2024 10:58:21

(नन्दन सिंह बिष्ट)
संयुक्त सचिव।